(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप प्रभावित हुई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आवंटित राशि का उपयोग न कर पाने के कारणों की गहन जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में कुछ अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाये गये हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या कार्य-प्रणाली में किसी दोष के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई और यदि हां, तो उसे ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) राज्य क्षेत्र में ग्राम विद्युतीकरण निगम समेत विद्युत विभाग हेतु 1990–91 के दौरान 4756.96 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय की अपेक्षा वास्तविक रूप से 4427.97 करोड़ रुपये की राशि का समुपोजन किया गया । इस प्रकार 328.99 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका । नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, सम्बद्ध पारेषण लाइनों समेत कथलगुड़ी गैस आधारित परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, मैथान दाया तट ताप विद्युत परियोजना, फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना–3 और दादरी गैस आधारित परियोजना ऐसी प्रमुख परियोजनायें/स्कीमें हैं जिन पर आबटन से कम खर्च किया गया ।

निधियों के समुपयोजन में कमी का कारण, उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब, परियोजना सम्बन्धी निवेशों की अनुपलब्धता, देश के भागों में कानून एंव व्यवस्था की असामान्य स्थिति होना और कानूनी दृष्टि से स्वीकृति में विलम्ब होना आदि हैं । सम्पूर्ण निधियों का समुपयोजन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा आवधिक रूप से समीक्षाओं का आयोजन किया जाता है ।

दिल्ली में संचरण और वितरण में बिजली की हानि

78. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा** : क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में संचरण और वितरण में बिजली की अनुमानत: 21% हानि हो जाती है ;

(ख) क्या सरकार ने इस हानि के औचित्य के कारणों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा देश के अन्य राज्यों में इस प्रक्रिया में होने वाली हानि के आंकड़े भी एकत्र किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में इस प्रक्रिया में होने वाली हानि का औसत क्या है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के अनुसार, वर्ष 1989–90 के दौरान दिल्ली में पारेषण एंव वितरण हानियां 21.5% थीं ।

(ख) और (ग) पारेषण और वितरण हानियों के लिए, प्रणाली में उपयोग किए गए कण्डक्टरों एंव उपस्कर में ऊर्जा का क्षरण जैसे तकनीकी घटक और दोषयुक्त मीटर, मीटर पठन सम्बन्धी गलतियां एव ऊर्जा की चोरी जैसे वाणिज्यिक घटक उत्तरदायी हैं । विभिन्न राज्यों में

पारेषण एवं वितरण हानियां विवरण में दी गई हैं।

(घ) वर्ष 1988-89 के दौरान, देश की विभिन्न विद्युत प्रणालियों में औसत पारेषण एवं वितरण हानियां लगभग 23% थीं।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों में प्रतिशत परिणमन पारेषण एवं वितरण हानियां विद्युत की चोरी जैसी वाणिज्यिक हानियों सहित

क्षेत्र	राज्य बिजली बोर्ड/विभाग	1989-90†
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	29.19
	2. हिमाचल प्रदेश	18.74*
	3. जम्मू व कश्मीर	49.46*
	4. पंजाब	19.96*
	5. राजस्थान	21.97*
	6. उत्तर प्रदेश	26.10
पश्चिमी क्षेत्र	1. गुजरात	22.06*
	2. मध्य प्रदेश	19.48
	3. महाराष्ट्र	17.60
दक्षिणी क्षेत्र	1. आन्ध्र प्रदेश	20.20*
	2. कर्नाटक	20.00
	3. केरल	22.00*
	4. तमिलनाडु	18.46
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	21.50*
	2. उड़ीसा	23.99
	3. सिक्किम	23.36
	4. प० बंगाल	21.58*
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1. असम	21.56
	2. मणिपुर	20.83*
	3. मेघालय	10.90
	4. नागालैण्ड	18.00**
	5. त्रिपुरा	29.78*
	6. अरुणाचल प्रदेश	27.60*
	7. मिजोरम	29.00*

टिप्पणी : 1. †अनन्तिम

2. मेघालय के मामले में कम पारेषण एवं वितरण हानियों का कारण, इसके द्वारा पड़ौसी राज्यों को ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा में बिक्री किया जाना है।

स्रोत : 1. पी०डी०बी० एण्ड आई० निदेशालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।

2. *राज्य बिजली बोर्ड/बिजली विभाग।

3. *संसाधनों के बारे में योजना आयोग में हुआ विचार-विमर्श।

4. **1991-92 के लिए वार्षिक योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।